अनुदान संख्या 100 – शहरी विकास विभाग
GRANT No. 100–DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*24,73,00*		*26,74,00*	*25,99,24*	*–74,76*
पूरक	*Supplementary*	*2,01,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					75,00
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1605,54,00		1612,07,00	893,77,79	–718,29,21
पूरक	Supplementary	6,53,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					713,73,49
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*11,60,00*		*12,60,00*	*11,51,80*	*–1,08,20*
पूरक	*Supplementary*	*1,00,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	762,33,00		2207,35,00	2197,19,07	–10,15,93
पूरक	Supplementary	1445,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,75,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*74.76 लाख रु.*) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *201.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 37 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 3 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित रशि (*75.00 लाख रु.*) भी कुल बचतों से अधिक हो गईं।

Notes and comments

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.74.76 lakhs*) constituted 37 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.201.00 lakhs* obtained in March, 2006 and 3 percent of the total sanctioned appropriation. The amount surrendered (*Rs.75.00 lakhs*) also exceeded the overall savings.

(I) *2.00 लाख रु. का विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''आवास'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2216"-"Housing".

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (71829.21 लाख रु.) दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 653.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 45 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.71829.21 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.653.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and constituted 45 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat – General Services				
मू.	O.	4591.00	2052.35	1897.16	–155.19
पु.	R.	–2538.65			
मुख्य शीर्ष ''2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	15249.00	10584.00	10417.55	–166.45
पु.	R.	–4665.00			
मुख्य शीर्ष ''2216'' आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	28566.00	29168.42	29103.22	–65.20
पू.	S.	651.00			
पु.	R.	–48.58			
मुख्य शीर्ष ''2217'' शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	71308.00	3187.74	3151.82	–35.92
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–68121.26			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	24800.00				
पू.	S.	1.00		28801.00	28781.04	–19.96
पु.	R.	4000.00				

(I) 62741.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 62500.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2217'' - ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs. 62741.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.62500.00 lakhs accounted for under Major Head "2217"-"Other Urban Development Schemes-Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) ''एकत्रित वित्त विकास निधि''- 2500.00 लाख रु. कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से स्कीम को चलाए न जाने के कारण थे।

(A) "Pooled Finance Development Fund"- Rs.2500.00 lakhs - due to non-taking up of schemes owing to some administrative reasons.

(खा) ''शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि''- 60000.00 लाख रु. शहरी विकास/शहरी क्षेत्रा की स्कीमों के लिए विशेष प्रयोजन वाहनों के संबंध में निधियों का अपवर्तन किए जाने के कारण थे।

(B) "Viability Gap Fund for SPVs of Urban Infrastructure Projects" - Rs.60000.00 lakhs - due to diversion of funds towards Special Purpose Vehicle (SPV) for Urban Development/Urban Territory Schemes.

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - शहरी विकास'' के अंतर्गत 2693.84 लाख रु. की बचत (4591.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रशासनिक कारणों और सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों एवं सेवाओं की आस्थगित अधिप्राप्ति की वजह से स्कीमों को चलाया नहीं जा सका था।

(II) Under Major Head "2052"-"Secretariat-Urban Development"- saving of Rs. 2693.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs 4591.00 lakhs) was due to non-taking up of schemes owing to some administrative reasons and deferred procurement of Information Technology equipments and services.

(III) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''जल पूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - छोटे कस्बों में एयूडब्ल्यूएसपी का विस्तार'' के अंतर्गत 5100.00 लाख रु. की बचत (9524.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि इस स्कीम को हाल ही में प्रवर्तित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की नई अम्ब्रेला स्कीम में

(III) Under Major Head "2215"-"Water Supply-Urban Water Supply Programme-Extension of AUWSP to Small Towns"-saving of Rs.5100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9524.00 lakhs) was due to the fact that the scheme have been subsumed in a recently launched new umbrella scheme Jawahar Lal Nehru National

शामिल किया गया है और राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें - संपदा निदेशालय'' के अंतर्गत 175.90 लाख रु. की बचत (3701.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभागों से पर्याप्त प्रशासनिक एवं व्यय संबंधी स्वीकृति प्राप्त न होने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2217'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी सूचना प्रणाली''- 876.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन/निष्पादन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - शहरी परिवहन आयोजना''- 4636.72 लाख रु. की बचत (4999.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम को हाल ही में प्रवर्तित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की नई अम्ब्रेला स्कीम में शामिल किए जाने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (104.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - केंद्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद हो पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 103.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2215'' - ''मल जल तथा सफाई - नगर निगम को सहायता - चुने हुए शहरों में विमानपत्तन के निकट ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में प्रायोगिक

Urban Renewal Mission (JNNURM) and receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) Under Major Head "2216"-"General Pool Accommodation-Maintenance and Repairs - Directorate of Estates"- saving of Rs.175.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3701.00 lakhs) was due to non receipt of sufficient administrative and expenditure sanctions from the client departments and non-filling up of vacant posts.

(V) Under Major Head "2217"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Urban Development Schemes - Other Expenditure - Urban Information System"- saving of Rs. 876.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/ executing agencies.

(B) "General-Direction and Administration-Urban Transport Planning"- saving of Rs.4636.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4999.00 lakhs) was due to the scheme have been subsumed in a recently launched new umbrella scheme Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission(JNNURM).

3.(I) The above savings were partly (Rs.104.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Urban Infrastructure Support Scheme". Actual excess, however, was Rs.103.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2215"- "Sewerage and Sanitation - Assistance to Municipal Corporation-Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport in Selected Cities"- excess of Rs.396.82 lakhs

परियोजना''- 396.82 लाख रु. का अधिक व्यय (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्षेपित किए गए से अधिक शहरों को शामिल किए जाने की वजह से कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for programme owing to coverage of more cities than projected.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''- अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(B) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - excess occurred under the following heads:-

(क) ''अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य अनुदान - मेगासिटी स्कीम - अवसंरचना विकास''- 2500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (14950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Other Urban Development Schemes-Other Grants - Megacity Scheme-Infrastructure Development"-excess of Rs.2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14950.00 lakhs) was due to meet the committed liabilities for on-going projects.

(ख) ''छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सहायता'' - 1377.04 लाख रु. का अधिक व्यय (9850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Assistance for Integrated Development of Small and Medium Towns"- excess of Rs.1377.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9850.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय चालू परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to meeting of committed liabilities for ongoing projects.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*108.20 लाख रु.*) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए *100.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 9 प्रतिशत थीं।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.108.20 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.100.00 lakhs* obtained in March, 2006 and constituted 9 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) *100.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''7601'' - ''*राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम*'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of Rs.*100.00* lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601" - "*Loans and Advances to State Governments*".

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	18523.00			
पू.	S.	1.00	17749.00	17519.07	–229.93
पु.	R.	–775.00			
मुख्य शीर्ष "4217'' शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	17700.00			
पू.	S.	19500.00	31400.00	31400.00	. .
पु.	R.	-5800.00			
मुख्य शीर्ष "6217'' शहरी विकास के लिए कर्ज	Major Head "6217" Loans for Urban Development				
मू.	O.	40000.00			
पू.	S.	125001.00	170801.00	170800.00	–1.00
पु.	R.	5800.00			

(I) 35.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 35.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4217'' - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - दिल्ली मेट्रो रेल निगम'' के अंतर्गत 10700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2005 में 19500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 30200.000 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, पूरक अनुदान को गलती से कर्ज संघटक के अंतर्गत लेने के बजाए इक्विटी के अंतर्गत लिए जाने के कारण 5800.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Delhi Metro Rail Corporation" - the original provision of Rs.10700.00 lakhs was augmented to Rs.30200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19500.00 lakhs in December, 2005 which, however remained unutilised to the extent of Rs.5800.00 lakhs - due to inadvertent taking of supplementary under equity instead of under loan component.

(III) मुख्य शीर्ष "4216'' - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "वित्त (राजस्व)''- 1050.89 लाख रु. की बचत (4704.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विदेश मामले''- 195.38 लाख रु. की बचत (235.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 151.73 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत और 82 प्रतिशत थीं।

6.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5800.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6217'' - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - नगर निगम को कर्ज - भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम'' के अंतर्गत मार्च, 2006 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5799.00 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4216'' - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "गृह''- 159.09 लाख रु. का अधिक व्यय (444.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और जम्मू में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए भूमि का क्रय किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "लोक सभा/राज्य सभा'' - 379.50 लाख रु. का अधिक व्यय (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोक सभा/राज्य सभा के चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Finance (Revenue)" - saving of Rs.1050.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4704.00 lakhs) was due to non-taking up of new projects.

(B) "External Affairs" - saving of Rs.195.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.235.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanction from the client Department.

(IV) Under two heads savings of Rs.151.73 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 56 percent and 82 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (Rs.5800.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2006 under Major Head "6217" - "Other Urban Development Schemes - Loans to Municipal Corporation - Delhi Metro Rail Corporation for acquisition of land". Actual excess, however, was Rs.5799.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings-Other Housing"- under the following heads:-

(A) "Home Affairs" - excess of Rs.159.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.444.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for on-going works and purchase of land for Central Bureau of Investigation (CBI) at Jammu.

(B) "Lok Sabha/Rajya Sabha" - excess of Rs.379.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for on-going works of Lok Sabha/ Rajya Sabha.